राजनीति

21

राजनीति दो शब्दों का एक समूह है राज+नीति। (राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला) अर्थात् नीति विशेष के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर (सार्वजनिक जीवन स्तर)को ऊँचा करना राजनीति है । नागरिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर कोई विशेष प्रकार का सिद्धान्त एवं व्यवहार **राजनीति** (पॉलिटिक्स) कहलाती है। अधिक संकीर्ण रूप से कहें तो शासन में पद प्राप्त करना तथा सरकारी पद का उपयोग करना राजनीति है।

राजनीति में बहुत से रास्ते अपनाये जाते हैं जैसे- राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाना,विधि बनाना, विरोधियों के विरुद्ध युद्ध आदि शक्तियों का प्रयोग करना। राजनीति बहुत से स्तरों पर हो सकती है- गाँव की परम्परागत राजनीति से लेकर, स्थानीय सरकार, सम्प्रभुत्वपूर्ण राज्य या अन्तराष्ट्रीय स्तर पर।

राजनीति का इतिहास अति प्राचीन है जिसका विवरण विश्व के सबसे प्राचीन सनातन धर्म ग्रन्थों में देखनें को मिलता है । राजनीति कि शुरुआत रामायण काल से भी अति प्राचीन है। महाभारत महाकाव्य में इसका सर्वाधिक विवरण देखने को मिलता है । चाहे

www.askclasses.com

Scanned with CamScanner

लोकसभा चुनाव कैसे होता है 23

सांसद बनने की योग्यता एवं शर्तें वाले लेख में हमने चर्चा किया था की 25 वर्ष की आयु का कोई भी भारत का नागरिक भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ के साथ लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव लड़ सकता है| हम इस लेख में लोकसभा अर्थात निचले सदन के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बता रहे है|

भारत में लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है. इसके अंतर्गत पुरे देश को विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाता है. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होते है. यानी की प्रत्येक संसद एक भूभागीय क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र) का प्रतिनिधित्व करता है

www.askclasses.com

Scanned with CamScanner

17:58
awaremyindia.in/indian
StudyIQ IAS & PCS
Google Play
इंस्टॉल करें

लोकसभा चुनाव प्रणाली: भारत में लोकसभा चुनाव की क्या प्रक्रियाएं है?

भारतीय संसद के तीन प्रमुख अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा. इनमें लोकसभा को विशेष और अधिकांश शक्तियों से परिपूर्ण बनाया गया है. लोकसभा को दी गई यह वरीयता लोकतंत्र के सिद्धांत पर सटीक बैठती है. ऐसा करने का प्रमुख कारण है इसके सदस्यों को सीधे जनता द्वारा चुना जाना| आज हम इस पोस्ट में लोकसभा की चुनाव प्रणाली के अंतर्गत लोकसभा सदस्यों को प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने के बारे में चर्चा कर रहे है| **Lok Sabha Election System in hindi. Lok sabha ka chunav kaise hota hai.**

लोकसभा चुनाव कैसे होता है

सांसद बनने की योग्यता एवं शर्तें वाले लेख में ह

English Hindi
www.askclasses.com
Scanned with CamScanner

23 अनुच्छेद।

विधि के समक्ष समानता का क्या आशय?

इसे सुनेंरोकें(1) विधि के समक्ष समता (Equality Before Law) विधि के समक्ष समता संकल्पना ब्रिटिश संविधान से उत्पन्न हुई है। जो एक नकारात्मक धारणा है। सभी वर्ग समानरूप से सामान्य विधि के अधीन और सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता के अंतर्गत होंगे। कोई भी व्यक्ति (चाहे अमीर या गरीब, उच्च-नीच, अधिकारी या गैर अधिकारी) कानून से ऊपर नहीं होगा।

www.askclasses.com

Scanned with CamScanner

राज्यसभा सदस्यों के चयन की प्रक्रिया

- नियमों के अनुसार, केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। राज्य के विधायक प्रत्येक दो वर्ष में छह वर्ष के कार्यकाल के लिये राज्यसभा हेतु सदस्यों का चयन करते हैं।

- उल्लेखनीय है कि राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।

- इसके अतिरिक्त इस्तीफे, मृत्यु या अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उपचुनावों के माध्यम से भर जाता है, जिसके पश्चात् चुने गए लोग अपने पूर्ववर्तियों के शेष कार्यकाल को पूरा करते हैं।

- नियमों के अनुसार, राज्यसभा चुनाव के लिये नामांकन दाखिल करने हेतु न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्त्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है।

    - अन्य शब्दों में कहें तो एक या एक से अधिक दलों से संबंधित सांसदों का एक दल अपनी पसंद के सदस्य का चुनाव कर सकता है, यदि उनके पास अपेक्षित संख्याएँ हों तो।

www.askclasses.com

Scanned with CamScanner

जहां तक उसके बाद की शक्तियों के प्रयोग में किए गए कार्यों का प्रश्न है | उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त है, किंतु जहां तक उसके व्यक्तित्व कार्यों का संबंध है, जो मूर्ति बड़ी सीमित है , और उसके विरुद्ध केवल 2 महीने की नोटिस देकर कार्यवाही चलाई जा सकती है |

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि वह संविधान का अतिक्रमण करता है |अथवा संविधान के विरुद्ध कार्य करता है , राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया हैं –

(क) राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जाएगा , परंतु

(ख) कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक की

(I) वह एक प्रस्ताव के रूप में ना हो तथा 14 दिन के लिखित सूचना के पश्चात के किया गया हो, यह लिखित सूचना सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए |

(ii) ऐसा प्रस्ताव उस सदन के समस्त सदस्यों से कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए।

www.askclasses.com

Scanned with CamScanner

नागरिक और राजनीतिक अधिकार अधिकारों का एक वर्ग है जो व्यक्तियों की सरकारों , सामाजिक संगठनों और निजी व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन से स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे भेदभाव या दमन के बिना समाज और राज्य के नागरिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार सुनिश्चित करते हैं ।

22

नागरिक अधिकारों में लोगों की शारीरिक और मानसिक अखंडता, जीवन और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है ; लिंग , नस्ल , यौन अभिविन्यास , राष्ट्रीय मूल , रंग , आयु , राजनीतिक संबद्धता , जातीयता , सामाजिक वर्ग , धर्म और विकलांगता जैसे आधारों पर भेदभाव से सुरक्षा ; [1] [2] [3] और व्यक्तिगत अधिकार जैसे गोपनीयता और विचार , भाषण की स्वतंत्रता, धर्म , प्रेस , सभा , और आंदोलन .

राजनीतिक अधिकारों में कानून में प्राकृतिक न्याय (प्रक्रियात्मक निष्पक्षता) शामिल है , जैसे कि अभियुक्त के अधिकार , जिसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी शामिल है ; नियत प्रक्रिया ; निवारण या कानूनी उपाय प्राप्त करने का अधिकार ; और नागरिक समाज और राजनीति में भागीदारी के अधिकार जैसे संघ की स्वतंत्रता , इकट्ठा होने का अधिकार, याचिका का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार और वोट देने का अधिकार ।

नागरिक और राजनीतिक अधिकार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों का मूल और मुख्य हिस्सा हैं । [4] वे 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के दूसरे भाग के साथ) के पहले भाग को शामिल करते हैं। मानवाधिकारों की तीन पीढ़ियों का सिद्धांत अधिकारों के इस समूह को "पहली पीढ़ी के अधिकार" मानता है, और नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों का सिद्धांत उन्हें आम तौर पर नकारात्मक अधिकार मानता है ।

www.askdasses.com

Scanned with CamScanner

इसके अलावा, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति या लोगों को मुकदमे में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत एजेंडा को ध्यान में रखते हुए मुकदमा याचिका दायर नहीं करनी चाहिए। अदालत मुकदमे को तभी स्वीकार करती है जब याचिका बड़े जनहित से आती है।

www.eskclasses.com

Scanned with CamScanner

2/अथवा

जनहित याचिका का अर्थ और परिभाषा

उपरोक्त पैराग्राफ में क्या कहा गया है, इसके अलावा, जनहित याचिका लोगों के एक समूह द्वारा शुरू की जाती है। ये लोग उस देश के हैं जहां मुकदमा दायर किया जाता है। साथ ही, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जनहित याचिका एक ऐसी प्रथा है जो निम्नलिखित को मुकदमेबाजी के लिए फाइल करने की अनुमति देती है:

- एक व्यक्ति; या
- लोगों का एक समूह

इसके अलावा, यह व्यक्ति या लोगों का समूह सीधे सुप्रीम कोर्ट में ब्याज याचिका दायर कर सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अलावा, उच्च न्यायालयों के साथ-साथ न्यायिक सदस्य मुकदमेबाजी की फाइलों को स्वीकार करने में सक्षम हैं।

www.askclasses.com

Scanned with CamScanner

मतदान के अधिकार का उपयोग करते हुए हमें मतदान जरूर करना चाहिए लेकिन हमारे भारत देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो मतदान नहीं करते । ऐसे लोगों में कई नौजवान पुरुष महिलाएं आदि शामिल हैं । हम सभी मतदान के अपने इस अधिकार का उपयोग करें इसके लिए कई जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं ।

सरकार कई तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के वोट ना डालने की वजह से देश में ऐसी सरकार आ जाती है जो देश के हित के लिए काम नहीं करती वह केवल अपने हित के बारे में सोचती है ।ऐसी सरकार की वजह से देश का विकास नहीं हो पाता ।

देश कई क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पाता लेकिन यदि देश की युवा देश के पुरुष , देश की महिलाएं , बुजुर्ग सभी अपने अधिकारों को समझें और मतदान के इस अधिकार का सदुपयोग करके वह वोट डालें तो जरूर ही देश में एक ऐसी सरकार होगी जो देश के हित के लिए कार्य करेगी । देश की हर तरह की व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करेगी ।

देश में सड़क व्यवस्था , शिक्षा व्यवस्था , बिजली की व्यवस्था लोगों की पानी की व्यवस्था एवं कई अन्य व्यवस्थाओं का ख्याल रखते हुए विकास की ओर अग्रसर होगी लेकिन बहुत सारे लोग मतदान नहीं करते और हम मतदान के अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते और देश मैं एक अच्छी सरकार नहीं आ पाती । देश के सभी लोगों को मतदान के समय मतदाता केंद्र में जाकर मतदान करना चाहिए ।

कई लोग होते हैं जो मतदान करना चाहते हैं लेकिन वह शारीरिक रूप से अक्षम नहीं होते हैं उसके लिए भी सरकार कई व्यवस्था करती है । बुजुर्ग जो लंबे समय तक लाइन में नहीं खड़े रह सकते सरकार उनके लिए व्यवस्था करती है ।

देश के हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मतदान के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण समझे क्योंकि आपके मतदान के जरिए जो भी व्यक्ति सरकार में आएगा वह पूरे देश पर राज करेगा यदि वह एक सही व्यक्ति नहीं होगा तो हमारे देश के विकास के लिए बहुत बुरा हो सकता है । इसलिए हम सभी को अपने मतदान का अधिकार समझते हुए मतदान जरूर करना चाहिए ।

www.asrclasses.com

Scanned with CamScanner

मतदान का अधिकार

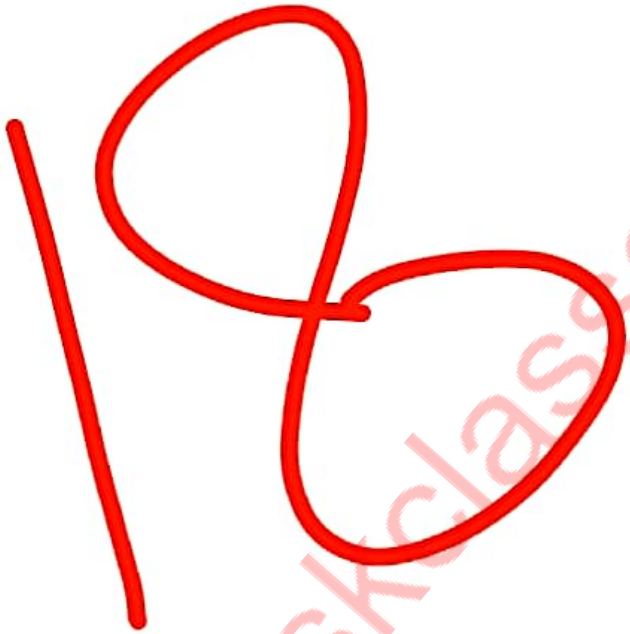

www.askclasses.com

हमारे भारत देश में मतदान का अधिकार हर उस शख्स को है जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से अधिक हैं । मतदान का अधिकार हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदान के इस अधिकार का उपयोग करके हम देश में एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं जो हमारे हित में कार्य करें ।

Scanned with CamScanner

17 अथवा

मौलिक अधिकार की विशेषताएं

1. राष्ट्रीय आंदोलन के भावना के अनुकुल -

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के समझ बार-बार अपने अधिकारों की मांग रखी थी स्वतंत्रता के पश्चात् सौभाग्यवश भारतीय संविधान सभा के लिये राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बहुमत में निर्वाचित हुए थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय की अपनी पुरानी मांग को भारतीय संविधान में सर्वोपरी प्राथमिकता देते हुए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की।

2. सर्वाधिक विस्तृत एवं व्यापक अधिकार -

भारतीय संविधान के तृतीय भाग में अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो अन्य देशों के संविधानों में किये गये वर्णन की तुलना में सर्वाधिक है।

3. व्यावहारिकता पर आधारित -

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के सिद्धांत न होकर व्यावहारिक और वास्तविकता पर आधारित है। किसी भेदभाव के बिना समानता के आधार पर सभी नागरिकों के लिए इनकी व्यवस्था की गयी है। साथ ही अल्पसंख्याकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वगोर्ं की उन्नति एवं विकास के लिए विशेष व्यवस्था भी की गयी है।

www.askclasses.com

Scanned with CamScanner

कानूनी अधिकार तीन प्रकार के होते हैं:

1. नागरिक आधिकार:

सामाजिक सकारात्मकता वाले व्यक्ति व्यक्ति के लिए सकारात्मक हैं. ये समाज में इंसान की जिंदगी की पूर्ति। जीवन का अधिकार, आज़ादी और समानता के अधिकार। नागरिक अधिकार सुरक्षित हैं।

2. राजनीतिक अधिकार:

Rabaur वे kayar हैं जिनके kair raur raur को rasak पthakirama में kthaurama हिस kaydauras ये प्रक्रिया प्रक्रिया में सक्रिय होती है। इनवेस्टमेंट का अधिकार, अधिकार होने का अधिकार, सरकारी वेबसाइट पर अधिकार और अधिकार का अधिकार होगा। राज्य में राज्य के अधिकार वास्तव में उपलब्ध हैं।

3. आर्थिक अधिकार:

अर्थव्यवस्था के अधिकार वाले लोग जो अर्थव्यवस्था की पेशकश करते हैं। पर्यावरण को व्यवस्थित करने और व्यवस्थित करने के लिए उचित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। खाने, कपड़े, रहने और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करने वालों में शामिल हैं। संपत्ति के मामले में ही पर्यावरण में पर्यावरण और पर्यावरण का प्रबंधन करेगा। यह व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कार्यरत व्यक्ति के अधिकार में, श्रमिक के अधिकार से, और इसलिए रोगग्रस्त व्य रूप में कार्य करता है।

www.askdasses.com

Scanned with CamScanner